Seventeenth Loksabha

an>

HON. CHAIRPERSON: Matters under Rule 377 – Shri Subhash Chandra Baheria.

Title: Need to Restore the operation of Trains discontinued due to Covid-19 pandemic.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): देश में रोज ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करते हैं। आम आदमी के लिए अपने काम को लेकर यात्रा का पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) ही सस्ता व सुलभ साधन है। कोरोना काल से पहले पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर होता था परन्तु कोरोना के बाद रेल मंत्रालय की ठहराव को लेकर जीरो बेस्ड नीति के चलते अनेक स्टेशनों पर पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव बन्द हो गया। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन क्षेत्र में पैसेन्जर ट्रेनों के ठहराव की मांग उठ रही है। मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) केवल लाभ के लिए नहीं, वरन् आमजन को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी चलाई जाती है। इसलिए पैसेन्जर ट्रेनों के मामले में नीति में परिवर्तन करके आमजन को राहत देते हुये पूर्व की भांति जिन स्टेशनों पर रूकती थी वहां पुनः ठहराव सुनिश्चित करायें।